कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडामालानी–बाडमेर

प्रसार शिक्षा निदेशालय (कृषि विश्वविधालय–जोधपुर) 342 304

KRISHI VIGYAN KENDRA:GUDAMALANI, BARMER

Directorate of Extension Education, (A.U. Jodhpur) 342 304

ICAR

Senior Scientist and Head

Phone 9461730510
kvkgudamalani@gmail.com

F.NO. /GNA/KVK/2023/ 2147

Date:19.05.2023

खुली निविदा सूचना 02/2023–24

कृषि विज्ञान केन्द्र, **गुडामालानी**, बाडमेर –II, द्वारा कार्यालय पर वित्तिय वर्ष 2023–24 में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सम्मिलित होने वाले अतिथियों एवं किसानों को चाय, नाश्ता और खाना उपलब्ध करवाने हेतु खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् लाईसेंसधारी एवं पंजीकृत फर्मों/भोजन सप्लायर्स से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	आवेदन शुल्क (रू.)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1.	चाय, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था	4,00,000 रू.	8000 रू.	500 रू.	29.05.2023 प्रातः 11:30 बजे तक	29.05.2023 दोहपर 01:00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कृषि विज्ञान केन्द्र, **गुडामालानी**, बाडमेर –II, से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं या http:/sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है। उक्त निविदा में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य की राशि पृथक–पृथक देनी होगी। निविदा के साथ धरोहर राशि नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो Programme Coordinator, KVK Gudamalani के नाम से देय हो, जमा करवाना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा की अनुमानित कीमतों में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Krndra
(Agriculture University Jodhpur)
Gudamalani, Barmer II

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. श्रीमान् प्रसार शिक्षा निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. फार्म प्रभारी/कमेटी कन्वेनर/सदस्य
4. नोटिस बोर्ड फार्म/कार्यालय/पंचायत समिति/ .....
5. गार्ड फाईल

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Krndra
(Agriculture University Jodhpur)
Gudamalani, Barmer II

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडामालानी–बाडमेर –II
(प्रसार शिक्षा निदेशालय)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

क्रमांक : केवीके / **गुडा** / 2023–24 / 2147 दिनांक : 19.05.2023

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का विवरण : चाय, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु संविदा दर।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति /फर्म/निविदादाता का नाम व पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर .....
.....
3. निविदादाता की फर्म का जीएसटी नम्बर ..... (संलग्न है।)
4. हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस सं. ..... (संलग्न है।)
5. निविदा पत्र शुल्क रू..... रसीद सं./डीडी सं..... दिनांक ..... को कार्यालय में जमा करवा दी गई है।
6. धरोहर राशि रू..... रसीद सं./डीडी सं..... दिनांक को कार्यालय में जमा करवा दी गई है।
7. मैंने कृषि विज्ञान केन्द्र, **गुडामालानी–बाडमेर** द्वारा की जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न निविदा की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया हैं जिसके लिये मैं बाध्य हूं तथा मैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
8. मैं निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करों एवं खर्चे सहित) करने एवं देने को सहमत हूं।
9. निविदादाता द्वारा दी गई दरें दिनांक 31.03.2024 तक मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि जिस कार्य के लिये निविदा की गई है उसका मेरे/फर्म के पास कार्य का पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो मेरी धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा ईकाई की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाईयों के संतोषप्रद कार्य न करने/होने के कारण मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter/दोषी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडामालानी–बाडमेर –II
(प्रसार शिक्षा निदेशालय)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

चाय, नाश्ता एवं भोजन हेतु खुली निविदा के लिये आपूर्ति दरें

निविदादाता का नाम : ..... दिनांक .....

क्र.सं.	सामग्री / मात्रा	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर (समस्त कर सहित)
1.	चाय 125 मि.ली.	
2.	नास्ता – चाय 01, कचौरी / समोसा – 01 केला – 01, नमकीन / बिस्कुट – 01 पैकेट	
3.	खाना (एक समय) चपाती / पूडी सब्जी – 01 अचार / मिर्ची कूटा मिठाई 01 पीस	
4.	खाना (एक समय) चाय –02 चपाती– दाल– 01 सब्जी – 01 चावल अचार / मिर्ची कूटा सलाद छाछ / रायता मिठाई 02 पीस	
5.	खाना (एक समय) चाय –02 बटर चपाती / बाटी दाल हरी सब्जी पनीर सब्जी चावल / पुलाव अचार / मिर्ची कूटा ग्रीन सलाद, पापड़ छाछ / रायता मिठाई – 02 पीस / देशी घी का चूरमा (आवश्यकतानुसार)	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडामालानी–बाडमेर -II
(प्रसार शिक्षा निदेशालय)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

क्रमांक : केवीके / **गुडा** / 2022–23 / 2147 दिनांक :19.05.2023

1. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित निर्देशों के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं शब्दों व अंकों दोनों में स्पष्ट लिखी होनी चाहिए तथा किसी भी तरह की कांट–छांट वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा दरें चाय, नाश्ता तथा भोजन हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देनी होगी।
3. भोजन की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी द्वारा दी गई जगह पर की जाएगी, अतः निविदादाता द्वारा दरें गन्तव्य स्थान तक प्रस्तुत करनी चाहिए। अतिरिक्त गाड़ी भाड़ा या अन्य परिवहन भार का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता को दरें निर्धारित प्रपत्र में मीनू के अनुसार चाय, नाश्ता तथा भोजन की दर संयुक्त रूप से देनी होगी।
5. धरोहर राशि रूपये 8000/– अक्षरे आठ हजार मात्र व निविदा प्रपत्र शुल्क 500/–जमा करवानी होगी, इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। उसकी धरोहर राशि को बतौर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त हाने पर तथा नो ड्यूज प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
6. असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के पश्चात् बिना ब्याज लौटाई जाएगी।
7. चाय, नाश्ता तथा भोजन मीनू के हिसाब से तथा सही समय पर ही देना होगा तथा खाने में सभी सामग्री अच्छी किस्म की उपयोग करने हेतु निविदादाता बाध्य होगा।
8. भोजन आदि की व्यवस्था कार्यालय या सक्षम अधिकारी द्वारा बताए गए स्थान पर करनी होगी जिस हेतु निविदादाता को किसी भी प्रकार का अन्य भाड़ा या परिवहन व्यवस्था देय नहीं होगी।
9. चाय, नाश्ता तथा भोजन के बर्तन व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता का होगा तथा खाना केन्द्र पर ही बनाना होगा।
10. निविदादाता को बचा खुचा खाना व अन्य कचरा नियत स्थान पर ही डालना होगा तथा सफाई व्यवस्था को पूर्ण ध्यान में रखना होगा।
11. अगर कोई विवाद हुआ तो सभी न्याय क्षेत्र **गुडामालानी** न्यायालय होगा।
12. स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ग्लास के साथ निविदादाता द्वारा ही की जाएगी। पानी आर.ओ. फिल्टर होना चाहिए।
13. निविदादाता द्वारा नाश्ता या भोजन की व्यवस्था हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की शर्त मान्य नहीं होगी तथा कार्यालय द्वारा जब भी जितने व्यक्तियों के नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था के लिये कहा जाए निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष को होगा।
15. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति को नहीं सौंपेगा तथा भाड़े पर नहीं देगा।
16. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर आगामी 31.03.2024 तक मान्य होगी।
17. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन तथा सांय भोजन अपने स्तर से सम्पर्क कर देना होगा। चाय व भोजन अधिक बनाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
18. **भोजन बनाने में काम आने वाली समस्त सामग्री एवं बर्तन आदि निविदादाता के होंगे और खाना खिलाने में स्टील व कॉकरी के बर्तनों का ही प्रयोग किया जायेगा।**
19. क्रय कमेटी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना बताये अस्वीकृत कर सके।
20. निविदा हेतु हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तथा पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है। हेल्थ विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की समय अवधि दिनांक 30.04.2023 तक समाप्त हुई नहीं होनी चाहिए तथा बिक्री प्रमाण पत्र में खाद्य पदार्थ आपूर्ति का उल्लेख होना आवश्यक होगा।
21. सेवा संतोषजनक नहीं होन पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
22. कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
23 समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
24. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी समय समय पर निविदा सबंबधी शर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवता की जांच कर सकेंगे।
25. सफल निविदादाता को उपरोक्त शर्तों की सहिमति का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500/– पर इकरारनामा/अनुबंध प्रेषित करना होगा

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

Babu